

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
अधिसूचना

संख्या:-05/स्था0(डी0टी0ओ0)-30/2013..... /परि0, पटना दिनांक....

श्री संजय कुमार, बि0प्र0से0, जिला परिवहन पदाधिकारी, भागलपुर की सेवा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को वापस किये जाने के फलस्वरूप उत्पन्न रिक्ति के कारण श्री नजीर अहमद, बि0प्र0से0, जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, भागलपुर के पद का प्रभार अगले आदेश तक सौंपा जाता है।

2. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213 (1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए उपरोक्त नवपदस्थापित जिला परिवहन पदाधिकारी, भागलपुर को जिला परिवहन पदाधिकारी की शक्तियों उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती है।

3. श्री अहमद को निदेश दिया जाता है कि वे अविलम्ब नवपदस्थापन वाले पद का प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/-

उप सचिव

परिवहन विभाग, बिहार, पटना

इंग्ले ज्ञापांक-05/स्था0(डी0टी0ओ0)-30/2013..... /परि0, पटना दिनांक....

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना/ महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी, संबंधित संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/ श्री नजीर अहमद, जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर/ श्री संजय कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी, भागलपुर/ संबंधित जिला कोषांग पदाधिकारी/ संबंधित मोटरयान निरीक्षक/ संबंधित प्रवर्तन अवर निरीक्षक/ आई0टी0मैनेजर, कम्प्युटर कोषांग/ परिवहन विभाग के सभी प्रशाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

उप सचिव

परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक-05/स्था0(डी0टी0ओ0)-30/2013..... 7443/परि0, पटना दिनांक... 23/12/16

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री परिवहन विभाग के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना एवं परिवहन विभाग के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव 23/12/16

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।